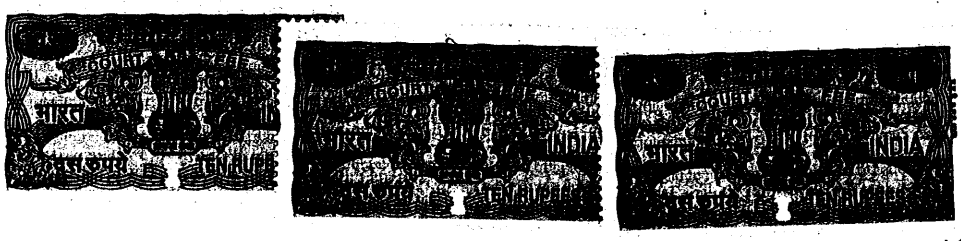

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुर्नविलोकन प्रकरण कमांक सन 2017

1. सी0 ई0 फांसिस उम्र 70 वर्ष तनय स्व0 श्री पी0 ई0 फांसिस निवासी सी–251, महेश नगर, लाल कोठी गांधी नगर जयपुर "राजस्थान"– 302015

2. एस0 डबलू0 फांसिस उम्र 60 वर्ष तनय स्व0 श्री पी0 ई0 फांसिस निवासी काइस्ट नगर, हरहुआ, दादूपुर, वाराणसी, उ0प्र0–221003 आवेदक कमांक 1 व 2 द्वारा मुख्तयार भाई एम0 डी0 फांसिस उम्र 67 वर्ष तनय स्व0 श्री पी0 ई0 फांसिस निवासी वार्ड नंबर 96 महात्मा गांधी नगर, डी0 सी0 एम0, अजमेर रोड जयपुर "राजस्थान"

3. एम0 डी0 फांसिस उम्र 67 वर्ष तनय स्व0 श्री पी0 ई0 फांसिस निवासी वार्ड नंबर 96 महात्मा गांधी नगर, डी0 सी0 एम0, अजमेर रोड जयपुर "राजस्थान"

................आवेदकगण

बनाम

1. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर म0प्र0
2. फांसिस पुत्र श्री ई0 फांसिस निवासी नौगांव तहसील नौगांव जिला छतरपुर म0प्र0

.........अनावेदकगण

पुर्नविलोकन आवेदन अंतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 बावत आदेश दिनांक 19/12/16 पारित अंतर्गत प्रकरण कमांक निगरानी 3526/1/2016 जिसके द्वारा अनावेदक कमांक 2 का नाम राजस्व खसरा अभिलेख में दर्ज किये जाने को आदेश दिया गया है के स्थान पर आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन

महोदय,

आवेदकगण श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक

कमशः 2

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक रिव्यू 257–एक/17 जिला – छत्तरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-2-17	आवेदक अभिभाषक श्री आर0एस0 सेंगर एवं अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदकगण द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3526–एक/2016 में पारित आदेश दिनांक 19–12–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ आवेदकगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदकगण मृतक श्री पी0ई0 फांसिस के पुत्रगण होकर उनके वैद्य वारिश, विधिक उत्तराधिकारी हैं, आवेदकगण आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार हैं। यह भी तर्क दिया कि वर्णित संपत्ति भू–खण्ड कमांक 01/59 के 5600 वर्ग मीटर का पट्टा सन 1954 में आवेदकगण के पिता को नियमानुसार दिया गया था, जिस पर वे जीवन पर्यन्त काबिज दखिल रहे हैं और उनकी मृत्यु उपरांत से आवेदकगण उक्त भू–खण्ड के आधिपत्य में होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे हैं। इस कारण पिता की मृत्यु हो जाने से आवेदकगण का नाम खसरा अभिलेख में दर्ज किया न्यायपूर्ण है। कथित संपत्ति के मालिक आवेदकगण है परन्तु अनावेदक कमांक 2 जिसका कि मृतक स्व0 श्री पी0ई0फांसिस की संपत्ति में कोई हक व हिस्सा नहीं है व न ही उसका कथित संपत्ति को सरोकार है आवेदकगण के पिता द्वारा अनावेदक कमांक 2 अथवा अन्य किसी को अपनी संपत्ति की कोई वसीयत नहीं की गई है फिर भी अनावेदकगण ने मृतक के वारसान	

आवेदकगण को छुपाते हुये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर संपत्ति खसरा कमंक 1/59 रकवा 0.559 हे0 भूमि पर अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने का आदेश सही तथ्यों को छुपाते हुये प्राप्त किया है। आवेदकगण वादोक्त भूमि के आधिपत्यधारी है एवं आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार है परन्तु फिर भी अनावेदक कमांक द्वारा इस तथ्य को छुपाते हुये अपने नाम से जो आदेश प्राप्त किया है वह किसी प्रकार से न्यायसंगत नहीं है। जबकि वादोक्त भू–खण्ड से अनावेदक कमांक 2 का कोई हित अथवा वास्ता नहीं है इस वजह से पारित आदेश को पुर्नविलोकन में लिया जाकर अनावेदक कमांक 2 के नाम के स्थान पर आवेदकगण का नाम खसरा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिया जाना न्यायपूर्ण है। अतः पुनर्विलोकन स्वीकार करने का अनुरोध किया।

3– अनावेदक म.प्र. शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि निगरानी में जो आदेश पारित किया है वह विधि अनुसार पारित किया गया है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। अतः पुनर्विलोकन निरस्त करने का अनुरोध किया।

4– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का सूक्ष्म अवलोकन किया गया तथा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख एवं अन्य दस्तावेजों की प्रतियों का अवलोकन किया गया। यह निर्विवादित है कि दिनांक 19–7–1954 को डिप्टी कलेक्टर छतरपुर द्वारा भूखण्ड कमांक 1/59 में 5600 वर्गमीटर का पट्टा मृतक पी0ई0 फांसिस था जिसके पश्चात कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण कमांक 74/अ–20/1/83–84 में पारित आदेश दिनांक 31–1–85 द्वारा उक्त पट्टा आगामी 30 वर्ष के लिये जारी किया गया। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत

दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमिस्वामी .पी0ई0 फांसिस की जिनकी मृत्यु वर्ष 03–4–1991 में हुई। मृत्यु उपरांत अनावेदक कमांक 2 फांसिस द्वारा मृतक पी0ई0 फांसिस की वसीयत के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण चाहा जिसपर तहसीलदार नौगांव द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–5–2012 को निरस्त किया गया। मृतक पी0ई0 फांसिस के तीन वैद्य वारिसान थे जिनकी उक्त वसीयत की किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी फिर उक्त वसीयत मृतक पी0ई0 फांसिस द्वारा कब और कहां लिखी गई तथा मृत्यु वर्ष 1991 के पश्चात वर्ष 2012 में अर्थात 21 वर्ष बाद वसीयत नामांतरण हेतु प्रस्तुत करना अपने आप में संदेहास्पद प्रतीत होती है। यहां यह भी विधिक प्रश्न उत्पन्न होता है कि पट्टाग्रहिता के वैद्य वारिस होते हुये उसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति जिसका उनसे कोई संबंध न हो, उसे वसीयत क्यों की गई। चूंकि तहसीलदार द्वारा भी वसीयत के आधार पर अनावेदक कमांक 2 जो कि फर्जी नाम फांसिस का सहारा लेकर नामांतरण चाह रहा था, को अपने आदेश दिनांक 15–5–12 से निरस्त किया है। वसीयत भी किसी न्यायालय में प्रमाणित नहीं हुई है। फिर भी इस न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 2 जो कि मृतक पी0ई0 फांसिस का वारिस नहीं है फिर भी उसका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के निगरानी में आदेश देने में त्रुटि हुई है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत मृतक पी0ई0 फांसिस का मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदकगण के आधार कार्ड, एवं अन्य महत्वूपर्ण दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण ही मृतक पी0ई0 फांसिस के असल वारिस हैं और उन्हें ही मृतक पी0ई0 फांसिस के भूमि पर मृत्यु उपरांत नामांतरण के अधिकार प्राप्त हैं। अनावेदक कमांक 2 द्वारा एक जैसे नाम होने का सहारा लेकर इस न्यायालय को गलत एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर

गुमराह किया है। जहां तक अनावेदक द्वारा लिये गये वसीयत के आधार पर नामांतरण किये जाने तर्क का प्रश्न है चूंकि वसीयत 21 वर्ष प्रस्तुत करना ही अपने आप में संदिग्ध है इसलिए आवेदक चाहे तो व्यवहार न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के स्वतंत्र है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनर्विलोकन स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय का निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19–12–16 निरस्त किया जाता है। आवेदकगण का नाम प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एम.के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर